

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -- 1678/2013/टॉक

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, टॉक।

.....अपीलार्थी.

बनाम्
मैसर्स श्रीनाथ कॉरपेट्स, टॉक।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक।


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :08.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, टॉक (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), अजमेर, कैम्प-कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.01.2013 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 23/वैट/2011-12 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.12.2011 के जरिये बिक्री विवरण प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 व 64 के तहत आरोपित शास्ति क्रमशः रु.23,450/- व रु.200/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने को विवादित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्धारण वर्ष 2009-10 का निर्धारण आदेश दिनांक 20.12.2011 को पारित कर, आलोच्य अवधि में बिक्री विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 व 64 के तहत आरोपित शास्ति क्रमशः रु.23,450/- व रु.200/- शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा विशिष्ट नोटिस जारी करने के अभाव में आरोपित शास्तियों को अपास्त कर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर ली गयी। जिससे से व्यथित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी हैं।



उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, पारित अपीलीय आदेश को अविधिक होना प्रकट कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर, पारित निर्धारण आदेश को पुनर्स्थापित (restore) करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर कथन किया कि अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति आरोपित करने से पूर्व अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु कोई विशिष्ट अवसर शास्ति आरोपण से पूर्व प्रदान नहीं किया गया, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 की अवहेलना है । अतः आरोपित शास्ति की राशियों न्यायोचित नहीं होने के कारण उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से आरोपित शास्तियों को अपास्त कर, अपील स्वीकार की गयी हैं। अतः पारित अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की प्रार्थना कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 58 व 64 के तहत बिक्री विवरणी प्रपत्र देरी से प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी का मौका नहीं प्रदान नहीं किया गया है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 के तहत एवम् प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के आलोक में आवश्यक है। परन्तु इस संबंध में कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपास्त करना विधिसम्मत नहीं है जैसा कि प्रकरण में माननीय राजस्थान विक्रय कर अधिकरण की खण्डपीठ के निर्णय (1990) 7 आर.टी.जे. एस 158, मै0 गांधी मशीनरी एण्ड स्पेयर; झुंझुनूं बनाम् वाणिज्यिक कर अधिकारी, झुंझुनूं में प्रतिपादित सिद्धांत लागू किये जाने योग्य हैं जिसमें माननीय विक्रय कर अधिकरण की खण्डपीठ ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय डी.बी./सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 1653 मै0 जयपुर मेटल एण्ड इलैक्ट्रीकल्स लि. बनाम् द यूनियन ऑफ इण्डिया में दिये गये निर्णय दिनांक 05.07.82 में प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण कर, प्रकरण में सूचना पत्र जारी कर नियमानुसार कार्यवाही करने की निर्धारण अधिकारी को


अपील संख्या - 1678/2013/टॉक
स्वतंत्रता प्रदान की है। उक्त निर्णय का संबंधित अंश निम्न प्रकर है:-

“The main ground alleged by the petitioner is that no notice was given to the petitioner before imposing the penalty which is a necessary requirement under Rule 54 of the Rajasthan Sales Tax Rules read with section 9 of the Central Sales Tax Act, Mr. Joshi, learned counsel appearing for the department frankly conceded and rightly so that it was necessary to give a notice to the assessee before imposing penalty. In view of this circumstance all the above three writ petitions are allowed. The impugned order (annexure-1) so far as imposing penalty is concerned is set aside. However, it is made clear that if the department chooses to do so it will be free to take fresh proceedings for imposing penalty on the assessee after giving proper notice as required under the law.”

अतः उक्त निर्णय के प्रकाश में, बिना सूचनापत्र जारी किये अधिनियम की धारा 58 व 64 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने के अपीलीय अधिकारी के निर्णय की पुष्टि की जाती है, परन्तु निर्धारण अधिकारी विवरण प्रपत्रों की प्रस्तुति में हुये विलम्ब के संबंध में पुनः सूचनापत्र जारी कर, शास्ति आरोपण हेतु स्वतंत्र होंगे ।

परिणामतः, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


8.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य